उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, **उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने समान नागरिक संहिता ((UCC)** विधेयक पारित किया दिया।

- **आज़ादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है।**

नोट:

उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात ने UCC का निर्माण शुरू करने के लिये समितियाँ नियुक्त की हैं।

मुख्य बिंदु:

- विधेयक में आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखते हुए,**सभी नागरिकों के लिये, उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किये बिना, विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और सहवास** पर एक समान कानून का प्रस्ताव है।
- संविधान के **अनुच्छेद 44** में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - यह प्रावधान राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व **(Directive Principles of State Policy- DPSP)** का अंग है, हालाँकि लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- विधेयक का उद्देश्य **लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर** उन्हें विनियमित करना है।
- यदि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है।
- **धारा 4** के अनुसार, "विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो तभी वह विवाह मान्य होता है", इस प्रकार यह धारा द्विविवाह या बहुविवाह पर रोक लगती है।
- तलाक के संबंध में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिये गए हैं।
- **धारा 28** तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी को एक वर्ष न हो गया हो।
- हालाँकि एक अपवाद बनाया जा सकता है यदि याचिकाकर्त्ता को **"असाधारण कठिनाई"** का सामना करना पड़ा हो या यदि प्रतिवादी ने **"असाधारण भ्रष्टता"** का प्रदर्शन किया हो।
- विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाली मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाएँ, जैसे– निकाह हलाला, **इद्दत एवं** तीन तलाक को स्पष्ट रूप से नाम दिये बिना विधेयक के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है।
- यह विधेयक सभी वर्गों के **बेटों और बेटियों के लिये समान संपत्ति अधिकारों** का विस्तार करता है।
- विधेयक LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखता है और केवल विषमलैंगिक संबंधों पर लागू होता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/key-feature-of-uttarakhand-s-uniform-civil-code-bill